आदेश

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत अमोठ से डोला हाई स्कूल तक लिंक मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु कुल 3.330 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रामनगर, नैनीताल के पत्र संख्या 131/सी दिनांक 17–06–2020 के अनुपालन में उपर्युक्त मोटरमार्ग के निर्माण के लिये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नियमानुसार सिविल भूमि को चयनित कर उपजिलाधिकारी नैनीताल के आख्या एवं उसके साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 11–0772018 के आधार पर ग्राम बगड तल्ला के खाता संख्या 32 के खसरा नम्बर 148 मध्ये रकबा 3.330 है0 सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार, नैनीताल तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल, वन प्रभाग नैनीताल एवं याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता निर्माण, खण्ड रामनगर, जनपद नैनीताल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। उपरोक्त आदेश जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन/सहमति उपरान्त जारी किया गया है।

(एस0एस0 जंगपांगी
अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या२८८/12–ज्येड0ए0सी0/2020 दिनांक२५–९–2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल, वन प्रभाग नैनीताल।
2– अधिशासी अभियनता,निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रामनगर, नैनीताल।
3– उपजिलाधिकारी, नैनीताल।
4– तहसीलदार,नैनीताल।

अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

R.K.

R6 पेज न. 222
क्रमांक – 01

R.K
5/10/2020

Scanned with CamScanner